रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2017/फाल्गुन 24, 1938
No. 192] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2017/PHALGUNA 24, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2017

सा.का.नि. 247(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु केंद्रीय सरकार प्रस्ताव करती है, जिसे इस अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 1181(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख में, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को 29 दिसंबर, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ।

अत:, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,-

(क) नियम 124 के उपनियम (2) में, शब्द "या केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे" के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"और टायर एवं रबर के घटकों के मामलों में, भारतीय रबर निर्माता अनुसंधान संघ, थाणे से";

(ख) नियम 126 में,-

(i) शब्द और कोष्ठकों "या (संयुक्त हार्वेस्टर का परीक्षण करने के लिए) उत्तर क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण व परीक्षण संस्थान, हिसार" के बाद निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"या वैश्विक आटोमोटिव अनुसंधान केंद्र, चेन्नई से";

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और भी कि बस बाडी और ट्रक बाडी के मूलरूप परीक्षण और प्रकार अनुमोदन हेतु राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट इंजीनियरिंग कालेजों या राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को राज्य सरकार विधिवत मंजूरी के साथ भेजा जा सकेगा ।"।

[फा. सं. आरटी-11035/06/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि.120 (अ), तारीख 10.02.2017 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2017

G.S.R 247(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), was published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 1181(E) dated the 29th December, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

AND whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 29th December, 2016;

AND whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (4th Amendment) Rules, 2017.

(2)They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989,-

(a) in rule 124, in sub-rule (2), for the words " or Central Institute of Road Transport, Pune", the following shall be substituted, namely:-

"and in the case of tyre and rubber components from the Indian Rubber Manufacturers Research Association, Thane ";

(b) in rule 126,-

(i) after the words and brackets "or the Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hisar (for testing of combine harvester)", the following shall be inserted, namely:-

"or the Global Automotive Research Centre, Chennai";

(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that prototype of bus bodies and truck bodies may be submitted for testing and type approval to engineering colleges specified by the State Government or the State Road Transport Undertakings duly approved by the State Government.".

[F. No. RT-11035/06/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 120(E), dated the 10th February, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.03.17 10:00:09 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.